न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 09 / 2017 (2017 / 00020)

तारीख दायरा–23.03.2017

तारीख निर्णय–27.01.2021

1. श्री अम्बूसिंह पिता भूरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।
2. श्री नाथूसिह पिता भूरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।
3. श्री पन्नेसिंह पिता भूरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।
4. श्रीमती रतनकुंवर पिता भूरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।
5. श्रीमती टमूकुंवर पिता भूरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।
6. मु0 बाबुबाई बेवा भूरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री हमेरसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।
2. श्री वकतसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।
3. श्री नवलसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी पडावली कला तहसील गोगुन्दा।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

अप्रार्थी की ओर से– श्री कुशालसिंह राणावत

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा पडावली कला पटवार सर्कल पडावली कला तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 के खाता संख्या 13 के आराजी संख्या 988 रकबा 0.17 बीधा भुमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पास में विपक्षीगण की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि पास–पास होने से सीमा बंदी के बारे में आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीया के खातेदारी में अतिक्रमण कर नुकसान पहुंचाते है, जिस बाबत प्रार्थी ने कई बार सीमा जानकारी कराई गई लेकिन विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी को नहीं मानकर आये दिन सीमा क्षेत्र के पत्थरों को फेंक देते है। प्रार्थीया व विपक्षीगण के मध्य सीमाओं पर पूर्व सीमाज्ञान के पश्चात पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब गोगुन्दा के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Neelam

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री कुशालसिंह राणावत का वकालत नामा पेश हुआ परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजुद जवाब पेश नही करने से जवाब बन्द किया जाकर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजियात के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी नही किये जाने बाबत् तथ्य प्रस्तुत नही किया है, जबकि बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा पडावली कला पटवार सर्कल पडावली कला तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 के खाता संख्या 13 के आराजी संख्या 988 रकबा 0.17 बीधा भूमि का उभय पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:37 IST
Reason: SelfAttested